

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "भारत औद्योगिक विकास योजना" (BHAVYA) दिनांक 10.04.2026 को अधिसूचित की गई थी। इस योजना के सामान्य एवं परिचालन संबंधित जारी दिशा-निर्देश के कंडिका-14 के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है -

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग | — | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | — | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग | — | सदस्य |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व विभाग | — | सदस्य |
| 6. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन संरक्षण विभाग | — | सदस्य |
| 7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग | — | प्रतिनिधि सदस्य |
| पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग। | | |

उक्त पर मुख्य सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

दिनांक-

सं0 सं0- 05/स0 बियाडा (BHAVYA/SLC)- 11/2026

प्रतिलिपि :-मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/उद्योग विभाग/वित्त विभाग/शहरी विकास एवं आवास विभाग/राजस्व विभाग/पर्यावरण एवं वन संरक्षण विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग/समाज कल्याण विभाग/श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—

दिनांक—

सं० सं०— ०५/स० बियाडा (BHAVYA/SLC)— ११/२०२६

प्रतिलिपि :—अवर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

अवर सचिव,

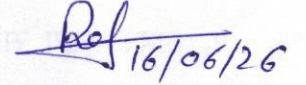
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक— 2986

दिनांक— 16.06.26

सं० सं०— ०५/स० बियाडा (BHAVYA/SLC)— ११/२०२६

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 16/06/26

अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना